

# FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

नाम धूराम

बनाम

फूलसिंह की.

किस्म मुकदमा


इजाजत

नं.

31

सन्

2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
12-10-18	<p>वकील डिफ्रीदार ने उपरिष्ठे डेफर इजाजत केस की। इजाजत दर्ज रीजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिफ्री की पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को वहीर जाके डेफर प्रकवली दिनांक 25-10-18 को पेश है।</p> <p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई प्रकरण में राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिफ्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 1968 दिनांक 25.09.2018 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>3 परीम्ह इजाजत आदेश की पालना में नामा सं. - 1968/ दि. - 25.09.2018 दर्ज कर अमल दरामद किया गया।</p> <p>16.06.2021</p> <p>(राज पैरोकार / ना. तहसीलदार) श्रीमाधोपुर</p> 

( लक्ष्मीकान्त गुप्ता )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)